दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 18 जनवरी, 2024

आप.वि.मा. 402/2024

सिद्धार्थ उर्फ सोमबीर ..... याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री निशांत एस. दीवान, अधिवक्ता।

बनाम

रा.रा.क्षे. दिल्ली राज्य ..... प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री युद्धवीर सिंह चौहान, अति.लो.अभि. राज्य के साथ उप.नि. माधव और उप.नि. रामवतार, पुलिस थाना: स्वरूप नगर।

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री ज्योति सिंह

निर्णय

ज्योति सिंह, न्या. (मौखिक)

आप.वि.आ. 1556/2024 (छूट)

1. अनुमति है, सभी अपवादों के अधीन हैं।

2. आवेदन का निपटान कर दिया गया है।

3. यह याचिका याचिकाकर्ता की ओर से दं.प्र.सं. की धारा 482 के तहत दायर की गई है, जिसमें पुलिस टीम के सभी सदस्यों के मोबाइल फोन को संरक्षित/पेश करने /लोकेशन विवरण प्रदान करने के निर्देश के लिए, जिन्होंने 20.12.2021 से 23.12.2021 की अवधि के लिए पुलिस थाना: स्वरूप नगर में दर्ज भा.द.सं. की धारा 186/353/307 और शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25/27 के तहत दिनांक 23.12.2021 को प्राथमिकी संख्या 821/2021 में याचिकाकर्ता को गिरफ्तार किया था। दिनांक 12.09.2023 के आदेश को भी चुनौती दी गई है, जिसके तहत याचिकाकर्ता द्वारा स्थान विवरण को पेश करने के लिए दं.प्र.सं. की धारा 91 तहत दायर आवेदन को विद्वान विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस.), उत्तर, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली द्वारा दिनांक 21.09.2023 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था, और जिसके तहत दिनांक 12.09.2023 के आदेश द्वारा स्पष्टीकरण/संशोधन के लिए आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

4. वर्तमान याचिका के निर्णय के लिए आवश्यक सीमा तक तथ्यात्मक मैट्रिक्स यह है कि याचिकाकर्ता को 23.12.2021 को दर्ज उपरोक्त प्राथमिकी में गिरफ्तार किया गया था और 07.09.2022 को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा दं.प्र.सं. की धारा 91 के तहत आवेदन दायर किया गया था, जिसमें पुलिस टीम के सदस्यों के कॉल लोकेशन विवरण पेश करने की मांग की गई थी, जिसने याचिकाकर्ता को पकड़ा था। इस न्यायालय द्वारा ***राज्य बनाम हरिपाल, 2023***

एस.सी.सी. ऑनलाइन दिल. 5045 में पारित निर्णय के अनुसरण में विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा आवेदन खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने दिनांक 12.09.2023 के आदेश में संशोधन की मांग करते हुए आवेदन दायर किया, जिसे आंशिक रूप से सेवा प्रदाता रिलायंस जियो को 20.12.2021 से 23.12.2021 की अवधि के लिए याचिकाकर्ता के फोन नंबर 8708960464 के मोबाइल स्थान के विवरण को संरक्षित करने के निर्देश देने की अनुमति दी गई थी।

5. आक्षेपित आदेशों का विरोध करते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि याचिकाकर्ता कानून का पालन करने वाला और शांतिप्रिय नागरिक है और निर्दोष है और पुलिस अधिकारियों ने उसे झूठा फंसाया है। याचिकाकर्ता 12वीं में अनुत्तीर्ण है और नौकरी की तलाश करते हुए, उन्होंने 21.12.2021 को राय, सोनीपत, हरियाणा के पास बिस्किट कारखाने गया था, जहां से उसे गिरफ्तार किया गया था, जबकि उसका आधिकारिक गिरफ्तारी 23.12.2021 को दिखाया गया है और स्थान विवरण याचिकाकर्ता के मोबाइल फोन स्थान से सत्यापित किया जा सकता है। इस प्रकार याचिकाकर्ता पुलिस द्वारा अवैध रूप से कैद में था और 22.12.2021 को, याचिकाकर्ता के पिता को दं.प्र.सं. की धारा 107/151 के तहत कथित रूप से अपराध करने के लिए उसकी गिरफ्तारी की सूचना दी गई थी। यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के फोन लोकेशन का विवरण झूठे आरोप के अपने बचाव को साबित करता है और इसलिए सभी संबंधित सेवा प्रदाताओं को छापे मारने वाली टीम के मोबाइल फोन लोकेशन के विवरण को संरक्षित करने के निर्देश जारी किए जाएं।

6. नोटिस जारी किया गया।

7. विद्वान अति.लो.अभि. राज्य की ओर से नोटिस स्वीकार किया और प्रस्तुत किया कि वर्तमान याचिका पूरी तरह से गलत है और यहां उठाया गया मुद्दा इस न्यायालय के ***हरिपाल (पूर्वोक्त),*** फैसले द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ कवर किया गया है। वह आगे प्रस्तुत किए कि विचारण न्यायालय ने पहले ही सेवा प्रदाता को 20.12.2021 से 23.12.2021 की अवधि के लिए उसके मोबाइल नंबर के मोबाइल लोकेशन के विवरण को संरक्षित करने का निर्देश देकर याचिकाकर्ता को आंशिक राहत दी है और जहां तक उसे गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के सदस्यों के मोबाइल लोकेशन के विवरण का संबंध है, वह प्रदान नहीं किया जा सकता क्योंकि यह सीधे पुलिस अधिकारियों की गोपनीयता का अतिक्रमण होगा और जोखिम और उनकी पहचान का पर्दाफाश हो सकता है, जैसा कि इस न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में अभिनिर्धारित किया है।

8. मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अति.लो.अभि. को सुना है।

9. इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए जो सीमित मुद्दा उठता है, वह यह है कि क्या याचिकाकर्ता अधिकार के तौर पर उसे गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम के सदस्यों के मोबाइल लोकेशन विवरण के संरक्षण, पेश करने और प्रदान करने पर जोर दे सकता है। यह ध्यान दिया जाए कि याचिकाकर्ता द्वारा दं.प्र.सं. की धारा 91 के तहत दायर आवेदन में दोहरा राहत है: - (क) याचिकाकर्ता के मोबाइल लोकेशन के विवरण को संरक्षित करने के लिए; और (ख) गिरफ्तार करने वाले दल के सदस्यों के मोबाइल लोकेशन के विवरण को संरक्षित/पेश करना/प्रदान करना।

10. जहां तक पहली राहत का संबंध है, जैसा कि विद्वान अति.लो.अभि. द्वारा ठीक ही बताया गया है, विचारण न्यायालय ने दिनांक 12.09.2023 के आदेश में स्पष्टीकरण/संशोधन के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन पर निर्णय लेते समय पहले ही उक्त राहत दे दी है और इस संदर्भ में, दिनांक 21.09.2023 के आदेश का प्रासंगिक अंश इस प्रकार है: -

> *"....*
>
> *आरोपी सिद्धार्थ कथित रूप से रिलायंस जियो के नंबर 8708960464 का इस्तेमाल कर रहा था। इसलिए* ***सेवा प्रदाता रिलायंस जियो को निर्देश दिया जाता है की वह 20.12.2021 से 23.12.2021 तक के इस नंबर के मोबाइल लोकेशन को सुरक्षित रखे। दिनांक 12.09.2023*** *के* ***आदेश को केवल इस सीमा तक संशोधित किया गया है। तदनुसार आवेदन का निपटान किया जाता है।*** *इस आदेश की प्रति आरोपी के विद्वान अधिवक्ता को हाथ से दिया जाय।*

11. जहां तक दूसरी राहत का संबंध है, इस न्यायालय को विद्वान अति.लो.अभि. द्वारा उठाए गए दलील में गुणागुण मिलती है। ***कृष्ण पावड़िया बनाम राज्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, 2022 एससीसी ऑनलाइन दिल.1758,*** में इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने इसी प्रकार के मुद्दे पर विचार करते समय यह अभिनिर्धारित किया था कि छापा मारने वाले दल के मोबाइल फोनों के सी.डी.आर. को सुरक्षित रखने का निदेश देना जांच एजेंसी और उसके अधिकारियों के हित के विरुद्ध होगा क्योंकि इससे पूर्वाग्रह और पुलिस अधिकारियों की सुरक्षा को और गुप्त मुखबिरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को जोखिम हो सकता है। फैसले का प्रासंगिक अंश इस प्रकार है: -

> *"7. वर्तमान मामले में, छापा मारने वाले दल के सदस्य एक विशेष जांच एजेंसी से संबंधित हैं जो राष्ट्रीय हित, आतंकवाद, हथियारों का लेनदेन, नशीली दवाओं की तस्करी और संगठित आपराधिक गतिविधियों के मामले में जांच करती है और उक्त उद्देश्य के लिए छापा मारने वाले दल के सदस्यों को गुप्त मुखबिरों के संपर्क*

में रहना पड़ता है। छापा मारने वाले दल के मोबाइल फोन के सी.डी.आर. को संरक्षित करना जांच एजेंसी के कामकाज के हित में नहीं होगा क्योंकि इससे पुलिस अधिकारियों की व्यक्तिगत सुरक्षा/सुरक्षा को नुकसान हो सकता है और साथ ही गुप्त मुखबिरों की पहचान उजागर हो सकती है। जांच पहले ही पूरी हो चुकी है।

12. इस न्यायालय ने ***अतर सिंह बनाम राज्य (रा.रा. क्षे. दिल्ली), 2016 एस.सी.सी. ऑनलाइन दिल. 3907*** में इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया है न्यायालय ने मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायालय के पुनरावलोकन के दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त की, जिसके तहत जांच अधिकारी के मोबाइल फोन से की गई कॉल के कॉल विवरण प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ता का दावा खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता की शिकायत यह थी कि ये कॉल जांच अधिकारी की उपस्थिति, लोकेशन और गतिविधियों को इंगित करते थे, जबकि राज्य ने मांगी गई राहत का विरोध किया था। फैसले के प्रासंगिक पैराग्राफ इस प्रकार हैं: -

"9. *मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है और उपलब्ध अभिलेखों का अध्ययन किया है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलों को और प्रतिद्वंद्वी की दलील को सुनने और विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अवलोकन के बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता इस अदालत से जांच अधिकारी के मोबाइल फोन से की गई कॉल की कॉल डिटेल प्रदान करने के लिए निर्देश मांग रहा है। याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि जांच अधिकारी के मोबाइल से की गई कॉल जांच अधिकारी की उपस्थिति, स्थान और गतिविधियों को इंगित करती है, जबकि राज्य का मामला यह है कि जांच अधिकारी के मोबाइल कॉल के विवरण में, यह वर्तमान मामले से संबंधित कॉल होने का इंगित नहीं करता है और वर्तमान मामले के अलावा, जांच अधिकारी एक पुलिस अधिकारी होने के नाते अन्य आरोपियों के अन्य मामलों और गतिविधियों को देखता है और उसे सौंपे गए कर्तव्य के संबंध में था। अभियोजन पक्ष द्वारा आगे तर्क दिया गया है कि आरोपी जांच अधिकारी की विभिन्न गतिविधियों के रिकॉर्ड का दावा नहीं कर सकता है और उसे केवल वर्तमान मामले में जांच अधिकारी की गतिविधि तक सीमित रहना होगा। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि आरोपी*

को जांच अधिकारी की अंतिम गतिविधियों के बारे में जानकारी रखने का कोई अधिकार नहीं है और यह मौजूदा मामले की गतिविधियों तक ही सीमित नहीं हो सकता। इसलिए, आरोपी को जांच अधिकारी के मोबाइल फोन से किए गए सभी कॉलों या प्राप्त कॉलों के रिकॉर्ड मांगने का हकदार नहीं कहा जा सकता है।

10. *विद्वान मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ता के दावे को अस्वीकार करने के लिए तर्कसंगत आदेश दिया है। इसी तरह का तर्कपूर्ण आदेश पुनरीक्षण न्यायालय यानी सत्र न्यायालय द्वारा भी पारित किया गया है। यह न्यायालय विद्वान महानगर मजिस्ट्रेट के साथ-साथ सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए दृष्टिकोण से अलग नहीं है। इसलिए विचारण न्यायालय के साथ-साथ सत्र न्यायालय के दृष्टिकोण को इस न्यायालय द्वारा भी बरकरार रखा गया है।*

11. *नतीजतन, वर्तमान याचिका खारिज की जाती है।*

13. ***हरिपाल (पूर्वोक्त),*** में न्यायालय विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेशों पर विचार करने वाली याचिकाओं के एक बैच पर विचार कर रहा है, जिसमें जांच अधिकारियों को कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सी.डी.आर.) प्राप्त करने का निर्देश दिया गया था जिसमें छापेमारी दल के सभी सदस्यों और अभियुक्तों के टावर-वार लोकेशन शामिल हैं। ***कृष्ण पावड़िया (पूर्वोक्त)*** और ***अतर सिंह (पूर्वोक्त),*** निर्णयों पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया: -

"17. राज्य के लिए विद्वान अति.लो.अभि. को सुनने के बाद, आक्षेपित आदेश की सामग्री का अवलोकन करने के बाद, इस न्यायालय को इस न्यायालय के समन्वय पीठों द्वारा पारित पूर्वोक्त निर्णयों में व्यक्त किए गए विचार के अलावा अन्य विचार करने का कोई कारण नहीं मिला। इस न्यायालय की राय में, पुलिस अधिकारियों के मोबाइल फोन के कॉल डिटेल रिकॉर्ड प्राप्त करना, जिसमें उनके टावर-वार लोकेशन शामिल हैं, उनकी सुरक्षा और गोपनीयता दोनों को प्रभावित कर सकते हैं। संबंधित पुलिस अधिकारी विभिन्न प्रकृति के मामलों के निपटान में शामिल हो सकते हैं, जिसमें संवेदनशील या जघन्य मामले या राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले शामिल हैं, और इस न्यायालय के समक्ष आक्षेपित आदेश, सीधे पुलिस अधिकारियों की गोपनीयता का अतिक्रमण कर सकते हैं। इसके अलावा, आक्षेपित आदेशों में 'गुप्त मुखबिरों' की पहचान को जोखिम में डालने और उनकी सुरक्षा को

जोखिम में डालने की क्षमता भी है। इस प्रकार, विद्वान ए.एस.जे. ने तर्कसंगत आदेश पारित नहीं किए हैं, और यह गोपनीय जानकारी को जोखिम में डालने की संभावना के लिए खिड़कियां खोलता है जिसे जांच अधिकारियों और अन्य पुलिस अधिकारियों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड के माध्यम से रिकॉर्ड पर लाया जा सकता है।

14. इसलिए, इस न्यायालय ने पुलिस/छापा मारने वाली टीम के सदस्यों के मोबाइल फोन के स्थान के विवरण प्रदान करने/पेश करने और संरक्षण के संबंध में एक सुसंगत दृष्टिकोण अपनाया है और यह न्यायालय एक अलग दृष्टिकोण अपनाने के लिए राजी नहीं है। विचारण न्यायालय के आदेश इस न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण के अनुरूप हैं और इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप के लिए कोई दुर्बलता नहीं पाई गई है।

15. मुझे वर्तमान याचिका में कोई गुणागुण नहीं मिली है और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।

ज्योति सिंह, न्या.

जनवरी 18, 2024/शिवम/केकेएस

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*